

23/2

न्यायालय श्रीमान सिविल जज & प्रवरखण्ड मंडोदपकोट सो15 मुजतानपुर



गंगा प्रसाद आसु लम्बाग 62 साल सुत स्व0 को अनन्त साकिन अलीपुर
परगना मी रानपुर तहसील लम्हरा आ जपद मुजतानपुर

-----वादी

बनाम

- 1- अर्जुन सुपता आसु लम्बाग 45 साल सुत हंसू तलसी राम
- 2- गो0अन्तर आसु लम्बाग 55 साल सुत नसीर अहमद
साकिनान एकरसी परगनामी रानपुर तहसील लम्हरा आ जपद मुजतानपुर
- 3- शिावर आसु लम्बाग 21 साल सुत माधा क्यसाद
- 4- अनिल आसु लम्बाग 37 साल | सुतगण
- 5- ओम प्रकाश आसु लम्बाग 38 साल | पंवराम

साकिनान ग्राम अलीपुर परगनामी रानपुर तहसील लम्हरा आ जपद
मुजतानपुर----- प्रतिवादी गण

दावा खाती ल्यावेता

मंडोदप,

वादी निम्न किशोरे :-

(Signature)

पुर्जावादी
वादी 33 तवा
मा तल नही है
सादी पार प्रस
कर खा ही
Sturkey
04/01/21

सादी निम्न किशोरे
20/01/21

धारा 1 - यह कि वाद पत्र के अन्त में विवाहित आराजी का एक नक्शा नजरी दिया

जा रहा है जो कि वाद पत्र का अभिन्न अंग है जिसमें विवाहित आराजी को आज रंग की लगी र से घेर कर अक्षर अ, ब, स, द से प्रदर्शित किया गया है।

धारा 2 - यह कि वादी ग्राम अनीपुर परगना सीरानपुर तहसील जयपुर जयपुर
सुतानपुरका स्थान निवासी है उनका घरदार खोले बारी उपरोक्त
मौजे में जमींदारी विनाश के पूर्व में स्थित था आ रहा है। वादी
के मकान का मकान नम्बर 28 है।

धारा 3 - यह कि विवाहित आराजी वादी की सुतानपुरी मकान , मकान नम्बर 28
व उसके सदन की आराजी है जिसका मकान नम्बर 28 है।

धारा 4 - यह कि विवाहित आराजी वादी अपने परिवार के साथ शान्ति पूर्वक
रहाई कर रहा है।

धारा 5 - यह कि विवाहित आराजी में ही वादी तथा उसके परिवार का विकास
पैठार, उठना, बैठना, तथा खोले गृहस्थी से सम्बन्धित सामान उसके
पूर्वजों के समय से जमींदारी विनाश के पूर्व से करता आ रहा है।

धारा 6 - यह कि विवाहित आराजी तथा उसमें स्थित निर्माण आदि से
प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई वास्ता शरीकार सम्बन्ध कर जा
दखल न तो करी था न तो आज है।

धारा 7 - यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा मौजे गांवके निवासी है प्रतिवादी

सं 3 व 4 को साजिस से जबरदस्ती विवाहित आराजी वादी को वेदखान

सुतानपुरी (बाक्यपत्र)
1/10/57

करके कब्जा करके विवादित आराजी में स्थित निर्माण को गिरा करके
विवादित आराजी में नीव खोद कर नवनिर्माण कर लेने की धमकी
दिनांक 1-1-2021 से निरन्तर दी जा रही है।

धारा 8 - यह कि उपरोक्त अध्यात्मिक कार्य करने का कोई कानूनी हक व
अधिकार प्रतिवादी गण को प्राप्त नहीं है।

धारा 9 - यह कि यदि प्रतिवादी गण अपने उपरोक्त अध्यात्मिक कार्य में कायदा
हो गये तो उस दूरत में वादी की पूर्णतः पक्षति होगी।

धारा 10 - यह कि लेखन अदायत प्रतिवादी गण को ई तफसिल करने को तैयार नहीं
है जिहाजा दावादापर करना आवश्यक है।

धारा 11 - यह कि वाद का मूल कारण प्रतिवादी गण द्वारा दिनांक 1-1-2021 से
देने निरन्तर धमकी कर लेने कब्जा वाद भूमिपर कर देने बेदखल वादी
को विवादित आराजी पर व गिरा देने अमान वादी व खोद लेने नीव व
कर लेने नवनिर्माण व नीज अन्दर हद अधितवार समाप्त अदायत हा मापेवाह है।

धारा 12 - यह कि मासिक दावादाया विवादित उपरो स्थित निर्माण का माजस कोमत
रु० 600000/- रु० कायम की जा रही है वुकि दावा स्थायी समावेश
है जिहाजा अधिकातम रु० 500 रु० की को ई जो स अदाकी जा रही है।

याचना

वादी निम्न याचना पाने का अधिकारी है :-

१

Handwritten signature and text in a vertical box on the right margin.

अ - यह कि डिग्री स्थायी व्यापार वृद्धि वादी खिलाफ प्रतिवादी गणा इस आशा की परमाई जावे कि प्रतिवादी गणा को मना कर दिया जावे कि वे विवादित आराजी से वादी को बेखाल न करे विवादित आराजी पर कब्जा न करे विवादित आराजी पर स्थित निर्माण गिरावे न ही विवादित आराजी में कोई छोड़े और न ही नवनिर्माण करे और कभी कोई भाग्ये साकार न करे जिसे विवादित भूमि / आराजी पर वादी के शान्ति पूर्वक कब्जा बहाल व शांति से कोई व्यवधान पैदा हो।

ब - शर्त सुकमा वादी को प्रतिवादी गणा विनाया जावे।
 ग - अन्य याचना जो उचित होवे परक वादी को प्रतिवादी गणा से प्रवन की जावे।

विवरण वाद मी कान नम्बर 28 व उसकी पहचान भूमि स्थित है हरक सुन्दर जे नकशान जरी वरंगसुर्बा अक्षर अ, ब, स, द, स्थित ग्राम अनोपुर परगना जो रानपुर तहसील नरसुआ जिले पश्चिम बंगाल में

20/11/21
 S. Kumar
 20/11/21

मे वादी स्वयंसेवक करवा हू कि उक्त वाद पत्र की धारा 11 सही व सच है इसमें नुकलूठ है न विवाया गथा है तथा धारा 12 वाचना को सही होने का विवरण कर रहा हू तसवी कसूफा मदी वादी सेवरी नरानपुर दिनांक - 02.01.21

प्राथी
 गंगा प्रसाद
 वादी
 द्वारा
 अधि वक्ता

गंगा प्रसाद



गंगा प्रसाद

S. Kumar
 02.01.21
 04.01.21

गंगा प्रसाद — वनाय — अर्जुन गुला आदि

साठवासे: 121
पेशी: -

नक्शा



न्यायालय प्रमाण सिविल जज (पु.के.) मुलातय
गंगा प्रसाद - ४५ - अर्जुन गुला आदि

प्रार्थी: -
गंगा प्रसाद - वादी

द्वारा
अधिवक्ता

S. Kumar
04/01/21 04.01.2021


द्वितीय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कोर्ट नं०-15, सुलतानपुर।
मूल वाद सं०-23/2021


गंगा प्रसाद —बनाम— अर्जुन गुप्ता आदि ।

दिनांक 02.01.2021

पत्रावली प्रार्थनापत्र 5ग2 पर सुनवाई हेतु पेश हुई । प्रार्थनापत्र 5ग2 पर सुनवाई के समय प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये ।

दौरान सुनवाई वादी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि वे वादपत्र पर बल नहीं देना चाहते हैं और उनका वाद बल न दिये जाने के कारण निरस्त कर दिया जाय और इस आशय का लेख भी वादपत्र पर अंकित किया गया । चूंकि वादी अपने वादपत्र पर बल न देते हुए वाद को नहीं चलाना चाहता है इस कारण उसे जबरन वाद चलाने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है । अतः ऐसी स्थिति में वादी का वाद बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है । पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।


04.01.21
सिविल जज (प्रवर खण्ड)
कोर्ट नं०-15, सुलतानपुर ।



गंगा प्रसाद आयु करीब 62 साल सुत स्व० श्री अनन्तू साकिन अलीपुर, परगना मीरानपुर, तहसील लम्भुआ, जनपद सुलतानपुर —————वादी

बनाम

1- चन्द्रशेखर वर्मा आयु करीब 45 साल सुत रामकुबेर साकिन अलीपुर परगना मीरानपुर, तहसील लम्भुआ, जनपद सुलतानपुर

2- अर्जुन गुप्ता आयु करीब 45 साल सुत तुलसीराम

3- गो० अख्तर आयु करीब 55 साल सुत नसीर अहमद

निवासीगण ग्राम सकरसी, परगना मीरानपुर, तहसील लम्भुआ, जनपद सुलतानपुर

————— प्रतिवादीगण

सा० वाद संख्या /2021

दायरा तिथि /01/2021

दावा हुकुम इम्तिनाई दवामी

महोदय,

प्रार्थी/वादी निम्न प्रकार विनयी है कि—

धारा 1— यह कि वाद पत्र के अन्त में विवादित आराजी का एक नक्शा नजरी संलग्न की जा रही है, जो वाद पत्र का अभिन्न अंग है। विवादित आराजी को नक्शा नजरी में वरंग सुर्ख करके लाल रंग की लकीर से घेरकर अक्षर अ, ब, स, द से प्रदर्शित किया गया है।

धारा 2— यह कि वादी ग्राम अलीपुर, परगना मीरानपुर, तहसील लम्भुआ, जनपद सुलतानपुर का स्थायी निवासी है, उनका घर, दुआर, खेती बारी उपरोक्त मौजे में जमींदारी विनाश अधिनियम के पूर्व से स्थित चला आ रहा है, वादी के मकान का मकान नम्बर 28 है।

- धारा 3— यह कि उपरोक्त वाद में विवादित आराजी वादी की पुश्तैनी मकान, मकान नम्बर 28 व उसके सेहन की आराजी है, विवादित आराजी में वादी अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक रहाईश कर रहा है, तथा सेहन भूमि का उपयोग उपभोग उठने बैठने हेतु बराबर कर रहा है।
- धारा 4— यह कि विवादित आराजी में ही वादी तथा उसके परिवार का निकास पैठार, उठना बैठना, तथा खेती गृहस्थी से सम्बन्धित सामान उसके पूर्वजों के समय से जमींदारी विनाश के पूर्व से करता चला आ रहा है। विवादित आराजी में वादी का एक छप्परपोश सरिया व बैठका स्थित है।
- धारा 5— यह कि विवादित आराजी तथा उसमें स्थित निर्माण, सरिया, बैठका आदि से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई वारता सरोकार, सम्बन्ध कब्जा व दखल न तो कभी था, और न आज ही है।
- धारा 6— यह कि प्रतिवादीगण दिनांक 19.01.2021 से निरन्तर इस आशय की धमकी दे रहे हैं कि वे विवादित आराजी तथा उसमें स्थित निर्माण, मकान, सरिया, बैठका से वेदखल कर कब्जा कर लेंगे, विवादित आराजी में स्थित निर्माण को गिरा देंगे, तथा नींव खोदकर नव निर्माण कर लेंगे, हालांकि प्रतिवादीगण को उपरोक्त अवैध कृत्य करने का कोई हक व अधिकार नहीं प्राप्त है।
- धारा 7— यह कि यदि प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त अवैधानिक कार्य में कामयाब हो गये तो उस सूरत में वादी की अपूर्णनीय क्षति होगी।
- धारा 8— यह कि वेरून अदालत प्रतिवादीगण कोई तपसिया करने को तैयार नहीं है, लिहाजा दावा दायर करना आवश्यक हुआ।
- धारा 9— यह कि वाद का मूल कारण प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 19.01.2021 से देने निरन्तर धमकी कर लेने कब्जा वादभूमि कर देने वेदखल वादी को विवादित आराजी से व गिरा देने मकान वादी व खोद लेने नींव व गिरा देने बैठका, सरिया, छप्पर व खोद लेने नींव व कर लेने नव निर्माण वनीज वाद अन्दर हद अख्तियार समात अदालत हाजा पैदा हुई।

क्या संख्या-15 जनपद-दुलतामपुर।
 कृष्णेश्वर वर्मा आदि
 नाम

227

227

धारा 10- यह कि मालियत दावा हाजा वगरज अदाय कोर्टफीस विवादित आराजी तथा उसमें स्थित निर्माण की बाजारी कीमत मुवलिंग 6,00,000/-रु0 कायम की जाती है, चूंकि दावा हु0 इ0 दवामी का है, लिहाजा निर्धारित अधिकतम कोर्टफीस मुवलिंग 500/-रु0 अदा की जा रही है।

या च ना

वादी निम्न याचना पाने के अधिकारी है-

अ- डिकी हु0इ0दवामी वहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस अम्र की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण को हमेशा-2 के लिये मना कर दिया जावे कि वह विवादित आराजी से वादी को वेदखल न करें, विवादित आराजी पर कब्जा न करें, विवादित आराजी में स्थित निर्माण न गिरावें, न ही बैठका, सरिया गिरावें, और न ही विवादित आराजी में नींव खोदें, न नव निर्माण करें, तथा कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे वादी के शांतिपूर्ण उपयोग एवं उपभोग, कब्जा व दखल में कोई व्यवधान पैदा हो।

ब- खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलायी जाय।

स- अन्य याचना जो न्यायोचित हो, वादी को प्रदान की जाय।

सराहत जायदाद-

मकान नम्बर 28 व उसकी सेहन की भूमि महदूदे हरुफ मुन्दर्जे संलग्न नक्शा नजरी वरंग सुर्ख अक्षर अ,ब,स,द स्थित ग्राम अलीपुर, परगना मीरानपुर, तहसील सदर, जनपद सुलतानपुर।

 *गंगा प्रसाद*

मैं वादी स्वयं तस्दीक करता हूं कि -
समस्त मजमून दावा हाजा की धारा 1ता09 मेरी निजी जानकारी में सही व सत्य है।
तथा धारा 10 व याचना के संधी होने का विश्वास दिलाता हूं। इसमें न कुछ झूठ है और न कुछ छिपाया गया है। तस्दीकरथान दीवानी परिसर, जनपद सुलतानपुर।

दिनांक-

 *गंगा प्रसाद*

द्वारा --अधिवक्ता

दिनांक-

BB
2/11/21

प्रार्थी


गंगा प्रसाद

गंगा प्रसाद

----- वादी


न्यायालय के नाम से विवादित जज (90 रु0) का संख्या-15 जनपद- सुलतानपुर
गंगा प्रसाद नाम के द्वारा
संख्या- /2021

गंगा प्रसाद


कनाथ - चन्द्रशेखरवर्मा आदि

साठवा स. 2021

पेशी-



मन्शा



स
ह
न

सुखराज
आ.च.दुर्गावरण
-रा.श्रीमान सिंगा (पुत्र)
गंगा प्रसाद - 74F



प्राची - श्रीमान राकेशकुमार

गंगा प्रसाद - वादी
द्वारा

अधिकृत

21/01/2021

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या-15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या-149/2021
गंगा प्रसाद -बनाम- चन्द्रशेखर।

दिनांक-21.01.2021

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद भूमि को नक्शा मानचित्र में अक्षर अ,ब,स,द, से प्रदर्शित करते हुए उसे अपने मकान की सम्पत्ति बताया गया है तथा कथन किया गया है कि प्रतिवादी का विवादित सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। वादी की ओर से दाखिल प्रलेखों का परिशीलन किया। वादी की ओर से दाखिल परिवार रजिस्टर की नकल के अवलोकन से प्रकट है कि मकान नं०-28 ग्राम अभिलेखों में वादी के नाम दर्ज है। अतः ऐसे में यदि अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की गयी और प्रतिवादी ने वादभूमि पर कब्जा कर लिया तो इससे वादी का दावा दायर करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। अतः अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे वाद भूमि दर्शित नक्शा वाद पत्र अक्षर अक्षर अ,ब,स,द, पर नियत दिनांक तक यथास्थिति बनाये रखे। वादी आदेश 39 नियम 3 सि० प्र० सि० का अनुपालन करें। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 05.02.2021 को पेश हो।


(संदीप कुमार)


सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०-15
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सुचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।


(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०-15
सुलतानपुर।

श्री. सुभाष च
श्री. सुभाष च

न
श्री. सुभाष च
श्री. सुभाष च

श्री. सुभाष च



श्री. सुभाष च

श्री. सुभाष च

Im

श्री. सुभाष च

श्री. सुभाष च

श्री. सुभाष च

श्री. सुभाष च
21/1/21

प्रेषक,

संदीप कुमार,
सिविल जज (प्रवर खण्ड)
कोर्ट नं0-15, सुलतानपुर ।

सेवा मे,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर ।

विषय:- शिकायतकर्ता श्री अनिल कुमार के शिकायती प्रार्थनापत्र दिनांकित 02.02.2021 पर श्रीमान जी द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शिकायतकर्ता की शिकायत के सम्बन्ध में प्रार्थी का ससम्मान निम्नवत् स्पष्टीकरण है:-

- 1- उपरोक्त पैरा के कथन केवल न्यायालय की छवि को धूमिल करने के लिये किये गये हैं ।
- 2- उपरोक्त पैरा में वर्णित मुकदमें का सम्बन्ध अन्य न्यायालय से है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी को कुछ नहीं कहना है ।
- 3- उपरोक्त पैरा में उल्लिखित वाद को वादी के अधिवक्ता ने नाटप्रेस कर दिया था जिस कारण उसे खारिज कर दिया गया था ।
- 4- उपरोक्त पैरा के कथन अन्य न्यायालय से सम्बन्धित हैं जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी को कुछ नहीं कहना है ।
- 5- उपरोक्त पैरा के कथन केवल न्यायालय की छवि धूमिल करने के लिये किये गये हैं ।
- 6,7, व 8- उपरोक्त पैरा में वर्णित समस्त कथन गलत है । मात्र इतना सही है कि मूल वाद सं0- 149/2021 न्यायालय में दिनांक 21.01.2021 को संस्थित हुआ और उसी दिन वादी को एकपक्षीय रूप से सुनकर मामलों में अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया गया । शिकायतकर्ता उक्त वाद में पक्षकार नहीं था इसलिए वाद दायरा की ही तिथि पर उसे नहीं सुना जा सका ।
- 9- उपरोक्त पैरा के कथन सत्य से परे हैं । मात्र न्यायालय की छवि को धूमिल करने एवं दबाव बनाकर अपने पक्ष में आदेश प्राप्त करने के आशय से ऐसा कथन किया गया है ।

श्रीमान जी से यह भी निवेदन करना है कि शिकायतकर्ता ने अन्य न्यायालय में लम्बित जिस वाद का उल्लेख अपने प्रार्थनापत्र में किया है उसकी कोई जानकारी प्रार्थी को नहीं है । चूंकि शिकायतकर्ता वाद में पक्षकार नहीं था और न ही कोई कैबियट ही फाइल था तथा न ही दावा दाखिला के दिनांक पर शिकायतकर्ता का पक्षकार बनने का कोई प्रार्थनापत्र लम्बित था । इसीलिए उसे प्रथम सुनवाई के स्तर पर नहीं सुना गया ।

स्पष्टीकरण श्रीमान जी की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

सादर,

अप्रकृष्टि, प्रीतपत्र शिकायतकर्ता से लम्बित
नहीं है। किन्तु प्रीतपत्र शिकायतकर्ता से
कोपित है। किन्तु प्रीतपत्र शिकायतकर्ता से
इकाग्रता से सुनकर वाद में पक्षकार बनने का कोई प्रार्थनापत्र लम्बित था ।
दिनांक: 04.03.2021

भवदीय,
संदीप कुमार
(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्रवर खण्ड)
कोर्ट नं0-15, सुलतानपुर ।